

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (मोप्र०)

क्रमांक १५७२ दो-२१-१/२०२०

उज्जैन, दिनांक - २५/०६/२०२१

॥ निविदा आमंत्रण ॥

इस न्यायिक जिला स्थापना के उपयोग हेतु निम्नानुसार लेखन सामग्री हेतु संलग्न निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :-

सूक्ष्म	स्टेशनरी का नाम	क्रय की जाने वाली स्टेशनरी की अनुमानित संख्या
1	ए-४ साईज पेपर रीम 75 जीएसएम	2500 रीम
2	लिगल साईज पेपर रीम 75 जीएसएम	500 रीम
3	ग्रीन पेपर रीम 80 जीएसएम	300 रीम
4	स्टाम्प पेड बड़ानीला	100 नग
5	स्टाम्प पेड छोटानीला	100 नग
6	गोंद शीशी बड़ी 700 एम.एल.	20 नग
7	आलपिन पैकेट	200 नग
8	पेन स्टेण्ड	50 नग
9	सुतली (किलोग्राम में)	10 किलोग्राम
10	पेशी पेड	800 नग
11	लेस	800 पैकेट
12	मोमबत्ती प्रतिनग	20 नग
13	रजिस्टर एक दस्ता	20 नग
14	रजिस्टर दो दस्ता	100 नग
15	रजिस्टर चार दस्ता	100 नग
16	व्हाइटनर पेन	30 नग
17	कार्बन पैकेट	10 पैकेट
18	बालपेन नीला	100 नग
19	बालपेन लाल	20 नग
20	स्टेपलर मशीन बड़ी	45 नग
21	स्केल	20 नग
22	स्टेनो पेंसिल	20 नग
23	टेप डिस्पेंसर	5 नग
24	पिन कुशन	10 नग
25	स्टेपलर पिन बड़ी पैकेट	20 पैकेट
26	हाईलाटर पेन	10 नग
27	कैलक्यूलेटर	10 नग
28	स्केच पेन	70 नग
29	कैंची मीडियम साईज	10 नग
30	कॉल बैल	10 नग

cont... 2

31	पेकिंग पेपर	50 नग
32	ग्लू स्टीक	20 नग
33	फ्लेग पैकेट	60 पैकेट
34	यू पीन	10 पैकेट
35	लिफाफे बडे 5/11 खाकी	5000 नग
36	लिफाफे छोटे 4/9 खाकी	15000 नग
37	लिफाफे बडे 5/11 सफेद	100 नग
38	लिफाफे छोटे 4/9 सफेद	100 नग
39	लिफाफे बडे 12x16	100 नग
40	लिफाफे 10x12	100 नग
41	सेलो टेप 0.5 इंच	40 नग
42	सेलो टेप 2 इंच	40 नग
43	सेलो टेप 1 इंच	20 नग
44	पंचिंग मशीन	5 नग
45	रबर	50 नग
46	शॉपनर	40 नग
47	डम्पर	60 नग
48	फाईल कवर प्लास्टिक	40 नग
49	कटर	20 नग
50	मार्कर पेन	40 नग
51	स्टेनो डायरी	250 नग
52	स्टेपलर मशीन छोटी	50 नग

संलग्न – निविदा शर्तें

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

उज्जैन (म0प्र0)

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (मोप्र०)

:: निविदा शर्त ::

**वर्ष 2021-22 के लिए संलग्न सूची अनुसार लेखन सामग्री के लिये निविदायें
अंतिम तिथि 20.07.2021 को सायं 05.00 बजे तक कार्यालय में निम्न शर्तों के अन्तर्गत
आमंत्रित की जाती है :-**

1. लेखन सामग्री हेतु प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा के साथ राशि रूपये 1000/- का डी.डी. (जोकि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम पर देय होगा।) एवं शर्तों व सामग्री की सूची रखी जावे। आवेदन-पत्र की राशि रूपये 1000/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लेखन सामग्री हेतु निविदा अंकित करें। बंद लिफाफे में निविदाएँ अंतिम तिथि को सायं 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट /कोरियर के माध्यम से कार्यालय को प्रेषित की जा सकती है। नियत तिथि तक प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जा सकेगा।
3. निविदा में प्रदाय की जाने वाली सामग्री की कम्पनी एवं उसके मूल्य का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। साथ ही सामग्री पर लगने वाले जी.एस.टी. प्रतिशत का भी उल्लेख किया जावें।
4. निविदा में प्रत्येक सामग्री का उत्पादक कंपनी द्वारा निर्मित सामग्री का साईंज, नापतोल आदि अंकित करना अनिवार्य है।
5. प्रदाय करने वाली सामग्री का सैम्प्ल अनिवार्य रूप से दिया जावे। निविदा के फाईनल हो जाने के उपरान्त सैम्प्ल निविदाकर्ता को निविदाकर्ता के व्यय पर वापस किये जावेंगे।
6. निविदा शर्तों एवं प्रस्तुत की जाने वाली निविदा दरों की सूची पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अनिवार्यतः अंकित होना चाहिए।
7. सामग्री का क्य आदेश प्राप्त होने पर निविदाकर्ता द्वारा सामग्री तुरंत प्रधान जिला न्यायालय, उज्जैन में प्रदाय करनी होगी।
8. निविदाकर्ता उनके द्वारा दी गई निविदा अनुसार सामग्री स्वीकृत दर पर वांछित मात्रा में निर्धारित तिथि तक प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
9. क्य आदेश अनुसार लेखन सामग्री प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के कार्यालय तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
10. प्रदाय की गई कोई भी सामग्री निविदा में दर्शायी गयी कंपनी पैक न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय पर वापिस उठाना होगा तथा निविदा में ग्रसित कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय की जाना होगी।

11. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक विकेता प्रकाशन दिनांक से अंतिम तिथि तक प्रातः 11.00 से सायंकाल 05.00 तक के बीच ग्रंथपाल, जिला न्यायालय, उज्जैन से मोबाइल क्रमांक 8839912688 पर आवश्यक जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं।
12. लेखन सामग्री की सूची में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है जिसमें कमी या वृद्धि हो सकती है।
13. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन का यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
14. निविदा दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....
निविदाकर्ता का नाम एवं पता.....
.....
निविदाकर्ता का दूरभाष/मोबाइल नं.....